



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 346) पटना, मंगलवार, 9 जून 2020

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

19 मार्च 2020

सं० 7/नि.(विधि-12) विविध-94/2017-2818—बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 की धारा-6(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल द्वारा अधोलिखित स्तम्भ-2 में अंकित पदाधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ-3 में वर्णित शक्ति, स्तम्भ-4 में वर्णित शक्ति सीमा के अधीन उक्त अधिनियम एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली, 1959 के अन्तर्गत निबंधक, सहयोग समितियों, बिहार, पटना की शक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	पदाधिकारी का नाम	शक्ति	शक्ति सीमा
1	2	3	4
1	सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी	अधिनियम की धारा-11 एवं 11(क) की शक्ति जैविक कोरिडोर योजनान्तर्गत जैविक कृषि संबंधित सहकारी समितियों के निबंधन हेतु	पदस्थापन कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 346-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>